प्रकरण संख्या 14/2017 हीरालाल बनाम मोहनलाल व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.06.2024	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 53, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त की आराजी नंबर 595, 596, 597, 748, 749, 750, 954, 1317 कुल किता 8 रकबा 1.35 हैक्टर भूमि ग्राम उदाजी का गुढा, तहसील घाटोल में स्थित है। आराजी नंबर 595 में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ने मकान का निर्माण किया हुआ है एवं प्रतिवादी संख्या 1 अनाधिकृत रूप से बिना विभाजन कराये आराजी नंबर 596 में मकान बनाने पर उतारू हैं। अतः विवादित आराजियात का वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य 1/2, 1/2 हिस्से अनुसार विभाजन किया जावे। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 10.06.2009 से वादी का वाद स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री जारी की तत्पश्चात प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 27.04.2011 को अंतिम डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर उनके अधिवक्ता उपस्थित हुए। दौराने कार्यवाही पक्षकारान द्वारा राजीनामा प्रस्तुत कर राजीनामे अनुसार विभाजन की अंतिम डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया। हमने प्रस्तुत राजीनामें एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। राजीनामें पर पक्षकारान के हस्ताक्षर होकर उनकी पहचान उनके अधिवक्तागण द्वारा की गयी है। मुताबिक राजीनामा अपील स्वीकार की जाना हम उचित समझते हैं। अतः मुताबिक राजीनामा अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 29/2007 निर्णय एवं अंतिम डिक्री 27.04.2011 में आंशिक संशोधन किया जाकर आराजी नंबर 595/1 रकबा 0.01, 596/1 रकबा 0.09, 597/1 रकबा 0.02, 748/1 रकबा 0.29, 954/1 रकबा 0.04, 1317/1 रकबा 0.22 कुल किता 6 रकबा 0.67 हैक्टर भूमि अपीलान्ट/वादी हीरालाल के हिस्से में तथा आराजी नंबर 595 रकबा 0.01, 596 रकबा 0.10, 597 रकबा 0.02, 748 रकबा 0.04, 749 रकबा 0.01, 750 रकबा 0.25, 954 रकबा 0.03, 1317 रकबा 0.22 कुल किता 8 रकबा 0.68 हैक्टर भूमि रेस्पोन्डेन्ट/प्रतिवादी स्वर्गीय देवा के वारिसान के हिस्से में रखे जाने का आदेश दिया जाता है। अधिनस्थ न्यायालय का शेष निर्णय व अंतिम डिक्री यथावत रहेगी। तद्नुसार डिक्री जारी हो। प्रस्तुत राजीनामा निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। निर्णय आज दिनांक 27.06.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे। Signature Not Verified Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat Date: 2024.10.30 12:44:08 IST Reason: SelfAttested (प्र[illegible]सिंह सांगावत) [illegible]बन्ध अधिकारी एवं [illegible] राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:44:08 IST
Reason: SelfAttested